5. समूह जोखिम न्यूनीकरण उपाय

समूह जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य समूह संस्थाओं में मानकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं लागू करना है । समूह में जोखिम प्रबंधन, समूह चलनिधि एवं आकस्मिक निधीयन योजना (सीएफपी), आर्म्स लेंथ और इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन और एक्सपोजर से संबंधित नीतियां भी कार्यान्वित हैं।

समेकित प्रूडेंशियल एक्सपोजर और समूह जोखिम घटकों पर नियमित रूप से नजर रखी जा रही है। समूह आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (समूह आईसीएएपी) दस्तावेज में सामान्य और तनाव की स्थितियों में समूह संस्थाओं द्वारा चिन्हित किए गए जोखिमों, आंतरिक नियंत्रणों और न्यूनीकरण उपायों और पूंजी मूल्यांकन का आकलन शामिल है। सभी समूह संस्थाएं जहां एसबीआई के पास गैर-बैंकिंग संस्थाओं सहित 20% या उससे अधिक हिस्सेदारी और प्रबंधन नियंत्रण है, आइसीएएपी एक्सरसाइज को अंजाम देते हैं और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एक समूह आइसीएएपी नीति भी कार्यान्वित की गई है।

6. बेसल कार्यान्वयन

आपके बैंक का निर्धारण नियामक द्वारा डी-एसआईबी के तहत किया गया है और चरणबद्ध तरीके से 1 अप्रैल, 2016 से लागू आरडब्ल्यूए के 0.60% अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटीपी1) को रखना आवश्यक है। यह 1 अप्रैल, 2019 से पूरी तरह प्रभावी हो गया है। इसके अतिरिक्त, इसने चरणबद्ध तरीके से पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) को भी बनाए रखना शुरू कर दिया है, जो 30 सितंबर, 2020 तक 2.5% के स्तर तक पहुंच जाएगा।

ख. आंतरिक नियंत्रण

आपके बैंक में आंतरिक लेखापरीक्षा (आईए) एक स्वतंत्र कार्यकलाप है। इसे बैंक में पर्याप्त मान्यता, महत्व और अधिकार प्राप्त है। उप प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में गठित आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में काम करता है। आपके बैंक का आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन विभागों के समन्वय से कार्य करता है, ताकि प्रभावी नियंत्रण का आकलन, नियंत्रण के साथ अनुपालन का आकलन और आंतरिक प्रक्रियाओं तथा कार्यविधियों का पालन किया जा सके। आपके बैंक का आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग जोखिम आधारित पर्यवेक्षण से संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक की सभी परिचालन इकाइयों की व्यापक जोखिम आधारित लेखापरीक्षा की देख-रेख करता है।

आपके बैंक में तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण के साथ गति बनाए रखने के लिए लेखापरीक्षा विभाग ने प्रौद्योगिकी आधारित सिस्टम पर चलने वाली तथा विश्लेषण आधारित लेखा-परीक्षा की शुरुआत की है, ताकि अधिक दक्षतापूर्ण तथा प्रभावी लेखा-परीक्षा संभव हो सके।

कुछ मुख्य पहल निम्नवत हैं:

- नियंत्रण सहित अनुपालन का शुरुआती स्तर पर आकलन करने के लिए वेब आधारित, ऑनलाइन जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आर.एफ़.आई.ए.) करना।
- बड़े डेटा के रिमोट आकलन के माध्यम से विश्लेषण आधारित, अनुपालन योग्य नियंत्रणों का आकलन करना।
- लेनदेन पर सिस्टम जनित, विश्लेषण आधारित ऑफसाइट निगरानी रखना।
- व्यवसाय यूनिटों की संगामी लेखा-परीक्षा करना, जिससे अनुपालनों की अद्यतन या वास्तविकता के नजदीक संवीक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- संस्वीकृतियों के तुरंत बाद समीक्षा ताकि ₹ 1 करोड़ तथा उससे अधिक के ऋणों की गुणवत्ता का समय रहते आकलन किया जा सके।
- शाखाओं द्वारा ऑनलाइन स्व-लेखा-परीक्षा करना, जिसमें शाखाओं द्वारा स्व आकलन तथा नियंत्रकों द्वारा पुनरीक्षण किया जा सके।

जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग अलग-अलग प्रकार की लेखा-परीक्षा करता है जैसे ऋण लेखा-परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा, साइबर सुरक्षा लेखा-परीक्षा, होम ऑफिस लेखा-परीक्षा (विदेश स्थित कार्यालयों की लेखा-परीक्षा), संगामी लेखा-परीक्षा, फेमा लेखा-परीक्षा, बैंक के आउटसोर्स्ड कार्यकलाप की लेखा-परीक्षा, व्यय लेखा-परीक्षा तथा अनुपालन लेखा-परीक्षा।

बैंक की सकल जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के लेखापरीक्षा संबंधी अवलोकन को सुदृढ़ बनाने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग में एक नए अनुभाग का गठन किया है।

इसके अतिरिक्त यह विभाग विभिन्न खंडों के कारगर होने संबंधी आकलन के लिए प्रबंधन लेखा-परीक्षा तथा लेखा-परीक्षा समितियों एवं विनियामकों के निर्देशों पर विषय अनुरूप लेखा-परीक्षा भी करता है।

शाखा की लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा विभाग आर.एफ़.आई.ए. के माध्यम से लेखा-परीक्षित यूनिटों के संपूर्ण परिचालनों का गहन निरीक्षण करता है। आरबीआई के दिशानिर्देशानुसार जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के लिए यह आवश्यक है। घरेलू शाखाओं को उनके व्यवसाय प्रोफाइल तथा अग्रिमों के एक्सपोजर के आधार पर तीन समूहों (समूह I,II और III) में बांटा गया है। आपके बैंक ने लेखा-परीक्षा के लिए शाखाओं का चयन करने के लिए सिस्टम आधारित प्रक्रिया आरंभ की है, जिसके तहत विश्लेषणात्मक अल्गोरिद्म लगाकर अलग तरह से व्यवहार कर रही यूनिटों की पहचान की जाती है। इससे बैंक को ऐसी शाखाओं में समस्या के कारणों की पहचान कर सुधार की कार्रवाई करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर लेखा-परीक्षा करने में मदद मिलती है।

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग ने 31.03.2020 तक आरएफआइए के अंतर्गत देश में स्थित लगभग 12,803 शाखाओं एवं बीपीआर इकाइयों और ट्रिगर आधारित ऑफसाइट लेखापरीक्षा के तहत 1,837 शाखाओं/इकाइयों की लेखापरीक्षा की।

ऋण लेखापरीक्षा

ऋण लेखापरीक्षा का उद्देश्य 20 करोड़ रुपए तक के वार्षिक एक्सपोज़र वाले व्यक्तिगत वाणिज्यिक ऋणों की गहन समीक्षा कर आपके बैंक के वाणिज्यिक ऋण संविभाग (पोर्टफोलिओ) की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना है।

ऋण लेखापरीक्षा प्रणाली व्यवसाय इकाइयों को ऋण संविभाग की गुणवत्ता के बारे में फीडबैक प्रदान करती है और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देती है।

संस्वीकृति के तुरंत बाद समीक्षा

'संस्वीकृति के तुरंत बाद समीक्षा (ईआरएस)' के तहत रु 1 करोड़ से अधिक के ऋण वाले सभी पात्र संस्वीकृत प्रस्तावों की समीक्षा की जाती है। ईआरएस संस्वीकृत प्रस्तावों के प्रारंभिक चरण में ही महत्वपूर्ण जोखिमों का पता लगा लेता है और इसे कम करने के लिए इस तरह के जोखिमों से व्यवसाय इकाइयों को अवगत कराता है। ईआरएस सोर्सिंग की गुणवत्ता, संस्वीकृति-पूर्व और संस्वीकृति प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सहायता करता है। ईआरएस की संपूर्ण प्रक्रिया सिस्टम संचालित है और लोन लाइफ साइकल प्रबंधन समाधान के माध्यम से कार्य करती है।

फेमा लेखापरीक्षा

विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत (प्राधिकृत डीलर) शाखाएं, जिसमें व्यापार वित्त केंद्रीकृत प्रसंस्करण कक्ष- टीएफसीपीसी शामिल है, की फेमा लेखापरीक्षा की जाती है। उच्च ऋण वाली शाखाएं और साथ ही व्यापार वित्त केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र की प्रतिवर्ष कम से कम एक बार फेमा के तहत लेखापरीक्षा की जानी है। अन्य प्राधिकृत शाखाओं की उनके जोखिम के आधार पर अधिकतम 21 माह की अवधि के भीतर लेखापरीक्षा की जाती है। वित्त वर्ष 2020 के दौरान 386 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की फेमा लेखापरीक्षा की गई।

सूचना प्रणाली और साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा

आर.एफ़.आई.ए. के भाग के रूप में भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं में आईटी से संबद्ध जोखिमों का आकलन करने के लिए सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा ("आइएस ऑडिट्स") की जाती है। केंद्रीकृत आई.टी. संस्थानों की आई.एस. लेखा-परीक्षा योग्यता-प्राप्त अधिकारियों की टीम द्वारा की जाती है, जिनमें सीधी भर्ती से नियुक्त आई.एस. लेखा-परीक्षक सम्मिलित होते हैं। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि के दौरान 87 केंद्रीकृत आईटी संस्थापनाओं की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त आपके बैंक की साइबर सुरक्षा नीति के अनुसार प्रतिवर्ष आपके बैंक की साइबर-सुरक्षा लेखापरीक्षा भी की जाती है।

विदेशी कार्यालयों की लेखापरीक्षा

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान गिफ्ट सिटी सहित विदेश स्थित 20 कार्यालयों की लेखापरीक्षा की गई और दो अनुषंगियों, चार प्रतिनिधि कार्यालयों और एक प्रधान/क्षेत्रीय प्रधान कार्यालय की प्रबंधन लेखापरीक्षा की गई।

संगामी लेखापरीक्षा प्रणाली (सीएएस)

आपके बैंक की संगामी लेखापरीक्षा प्रणाली, विनियामक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित ऋण और अन्य जोखिम को कवर करता है। सीएएस को और मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम मैट्रिक्स के अनुसार वर्गीकृत किए गए सभी अत्यंत उच्च जोखिम, बहुत उच्च जोखिम/उच्च जोखिम वाली शाखाएं/ इकाइयों को सीएएस के तहत कवर किया गया है। सभी ऋण केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र में ग्राहक संबंध के प्रारंभिक चरण में ही जोखिम अंकन की कमियों की पहचान करने हेतु संगामी लेखापरीक्षक की तैनाती की गई है। आपके बैंक में सेवानिवृत्त अनुभवी बैंक अधिकारियों और नियमित अधिकारियों के अतिरिक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म भी लेखापरीक्षा कर रही हैं।

ऑफ-साइट लेनदेन निगरानी प्रणाली (ओटीएमएस)

ऑफसाइट लेनदेन की निगरानी करने के उद्देश्य से परिस्थितियों के अनुसार अलर्ट जारी किए जाते हैं और सुधारात्मक कार्रवाई हेतु व्यवसाय इकाइयों को इनसे अवगत कराया जाता है। वर्तमान में, सिस्टम में 45 प्रकार की परिस्थितियाँ सन्निहित हैं, जिसके विरुद्ध नियमित अंतराल पर लेनदेन की जांच की जाती है और जहां संबंधित अनुपालन की पुष्टि हेतु सिस्टम द्वारा अनियमित लेनदेन की पहचान की जाती है। इन परिस्थितियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जरूरत एवं कतिपय ट्रिगर्स के आधार पर इनका विस्तार किया जाता है।

विधिक लेखापरीक्षा

आपके बैंक में विधिक लेखापरीक्षा के अंतर्गत ₹ 5 करोड़ और उससे अधिक की राशि के ऋण और प्रतिभूति संबंधित दस्तावेजों को कवर किया जाता है। विधिक लेखापरीक्षा अतिरिक्त नियंत्रण के लिए की जाती है, जो आंतरिक लेखापरीक्षक की आतंरिक टीम द्वारा की गई संवीक्षा के साथ-साथ अधिवक्ताओं के पैनल द्वारा भी की जाती है, ताकि बैंक के पक्ष में दस्तावेजों या प्रतिभूति सृजन में कोई अनियमितता न हो। वित्तीय वर्ष 2020 की समाप्ति तक 12,300 खाताओं की विधिक लेखापरीक्षा की गई है।

बाहरी एजेंसियों को सौपें गए (आउटसोर्सड) कार्यकलाप की लेखापरीक्षा

आपका बैंक इस बात की जरूरत समझता है कि बैंक के लिए कार्यरत सेवाप्रदाता बैंक की तरह विधिक और विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करें। यही कारण है कि आउटसोर्स कार्यकलापों का नियमित अंतराल पर लेखापरीक्षा की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि सही प्रणालियों और कार्यविधियों का अनुपालन किया जा रहा है तथा बैंक के लिए किसी प्रकार की विधिक, वित्तीय और एवं साख संबंधी जोखिम न रहे।

आपके बैंक में आउटसोर्सड कार्यकलापों की लेखापरीक्षा के तहत एटीएम सेवा प्रदान करने वाले वेंडरों, कॉरपोरेट व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी), अलग-अलग बीसी और ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी), वसूली और समाधान एजेंटों, नकदी प्रबंधन सेवा, चेक बुक प्रिंटिंग, संपार्श्विक प्रबंधन, ऋण प्रस्तावों के विपणन, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट शामिल हैं।

आपके बैंक ने वित्तीय समावेशन योजना के तहत 57,728 अलग-अलग बीसी और सीएसपी की सेवा ली है। वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान 28,864 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई है।

कॉरपोरेट केंद्र के विभागों का आरएफआइए

आपके बैंक ने सकल जोखिम के आकलन और बृहत स्तर पर लेखापरीक्षा निरीक्षण करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग में एक नए लेखापरीक्षा अनुभाग के गठन की पहल की है। यह आपके बैंक को सुरक्षित रखने के लिए आपके बैंक द्वारा किए गए विभिन्न विनियामक अनुपालन और जोखिम को कम करने के लिए किए गए उपायों की लेखापरीक्षा करता है।

प्रबंधन लेखापरीक्षा

प्रबंधन लेखापरीक्षा में कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाएं/मंडलों के स्थानीय प्रधान कार्यालय और बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) शामिल हैं। इनकी लेखापरीक्षा में कार्यनीति, प्रक्रिया और जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणालियों की समीक्षा की जाती है।

ग. अनुपालन जोखिम प्रबंधन

आपका बैंक विनियामक और सांविधिक अनुपालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इस दिशा में आपके बैंक ने अपनी अनुपालन संरचना की पूर्ण रूप से पुनर्रचना की है, जिससे उन ट्रैकिंग क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा सके, जिनसे अनुपालन जोखिम बढ़ते हैं और त्वरित समाधान के उपाय किए जा सके।

अपनी अनुपालन जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए आपके बैंक में गहन अनुपालन संस्कृति का होना जरूरी है। संगठन में विभिन्न प्रकार के संप्रेषण और बातचीत के जरिए इसे मजबूत किया जा रहा है।

किसी भी अनुपालन जोखिम को पहले से ही रोकने के लिए सभी उत्पादों, प्रक्रियाओं एवं नीतियों को लागू करने से पहले ही विनियामक परिप्रेक्ष्य में इनकी वेटिंग की जाती है। अनुपालन जोखिम प्रबंधन समिति, जिसमें सभी व्यवसाय वेर्टिकलों एवं सहायता कार्यों के वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं, अनुपालन संबंधी सभी मामलों पर नजर रखती है। समिति की बैठकें नियमित रूप आयोजित की जाती है और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समिति सभी आंतरिक हितधारकों को आवश्यक दिशानिर्देश देती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों के अनुपालन का परीक्षण किया जाता है और इस संबंध में कोई कमी पाई जाने पर नियमित रूप से उसका समाधान किया जाता है। परीक्षण के दायरे को बढ़ाया जा रहा है, ताकि सभी विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित किया जा सके।

घ. केवाईसी/एएमएल-सीएफटी उपाय :

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान मास्टर दिशानिर्देशों के अनुरूप आपके बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित केवाईसी नीति विद्यमान है। इस नीति में केवाईसी, एएमएल एवं सीएफटी मामलों के प्रति बैंक का नजरिया शामिल है। बैंक ने समय-समय पर संशोधित धन-शोधन निवारक अधिनियम, 2002 एवं धन-शोधन निवारक नियम (अभिलेखों का रखरखाव) 2005 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कदम उठाया है।

इस नीति में ग्राहक स्वीकार्यता, जोखिम प्रबंधन, ग्राहक की पहचान एवं लेनदेनों की निगरानी शामिल है। केवाईसी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक में एक ऐसी मजबूत प्रणाली विद्यमान है, जिसमें मैनुअल एवं प्रणाली समर्थित पद्धति शामिल है। गुमनाम अथवा काल्पनिक/बेनामी नाम पर अथवा कोई भी शाखा/व्यवसाय इकाई उपयुक्त सीडीडी उपाय लागू करने में असमर्थ है, तो कोई भी खाता खोला नहीं जाता है। तथापि इस नीति को लागू करते समय बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि वित्तीय अथवा सामाजिक रूप से अल्प सुविधप्राप्त लोग बैंकिंग सेवाएँ प्राप्त करने से वंचित न हो।

बैंक का एएमएल एवं सीएफटी विभाग लेनदेन निगरानी के जरिए यथोचित सावधानी बरतता है। बैंक जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, जहां पर निर्धारण एवं जोखिम अवधारणा के आधार पर ग्राहकों का वर्गीकरण न्यूनतम, मध्यम एवं उच्च जोखिम वाले ग्राहक के रूप में किया जाता है। बैंक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया को अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर भी ध्यान देता है। खातों का संबंध आतंकवादियों से होने का संदेह होने पर प्राथमिक आधार पर उपयुक्त रिपोर्टें भी दायर की जाती है।

केवाईसी और एएमएल/सीएफटी अनुपालन के बारे में स्टाफ में अधिक जागरूकता लाने के लिए आपके बैंक ने कई पहल की हैं। हर साल 2 नवंबर को एएमएल-सीएफटी दिवस मनाया जाता है, जिसमें सभी शाखाओं/प्रसंस्करण केन्द्रों और प्रशासनिक कार्यालयों में उस दिन शपथ ली जाती है। इसी तरह 1 अगस्त को केवाईसी अनुपालन और धोखाधड़ी रोकथाम दिवस मनाया जाता है।

ङ. बीमा

भारतीय स्टेट बैंक ने बीमा कवरेज की उचित खरीद के द्वारा आपके बैंक की संपत्ति और अन्य जोखिमों को कवर करने के लिए एक बीमा कक्ष की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, 10 करोड़ अमरीकी डॉलर के साइबर जोखिमों को कवर करने के लिए बीमा पॉलिसी ली जाती है। इसी तरह, आपके बैंक के जोखिम/लागत को कवर करने के लिए डेबिट कार्ड/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के लिए बीमा कवर लिया जाता है। डेबिट कार्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन पर ग्राहक की देयता को सीमित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है।

4. राजभाषा

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राजभाषा के प्रसार के लिए नवोन्मेषी पहल किए गए।

भारतीय स्टेट बैंक अपनी 22 हज़ार से अधिक शाखाओं, 58 हज़ार से अधिक एटीएम, करीब दो सौ विदेश स्थित कार्यालयों एवं विभिन्न बैंकिंग चैनलों के माध्यम से पूरे विश्व में उपस्थित है। स्टेट बैंक के 2 लाख 6 हज़ार के करीब स्टाफ सदस्य (अधीनस्थ स्टाफ को छोड़कर) बैंक द्वारा स्थापित समस्त चैनलों के माध्यम से बैंकिंग उद्योग में राजभाषा का प्रसार कर रहे हैं।

पूरे बैंकिंग जगत के लिए किए गए प्रयास

- वित्तीय सेवाएं विभाग के निर्देश पर भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्षता में गठित आई टी समिति की बैठक का आयोजन स्टेट बैंक भवन, कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई में किया गया, जिसमें सभी बैंकों के महाप्रबंधक (आई टी) ने सहभागिता की। इसी बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए कार्य के आधार पर तय की गई ग्राहक सेवा/वेबसाइट संबंधी 16 मदों के कार्यान्वयन के लिए सभी बैंकों ने योजनाबद्ध रूप से प्रयास किए और इस क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं।
- हमने हाल ही में वित्तीय सेवाएं विभाग के निर्देश पर आईबीए की ओर से सभी बैंकों के लिए खाता खोलने का फार्म (बेसिक बचत बैंक और चालू खाता फार्म) विकसित किया है, जो द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराया गया है।